फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्री गणेश — विपक्षी : श्री दामा

किस्म मुकदमा – 88,188 रा0का0अ0 — पत्रावली संख्या : 62/22

कमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक :– 18.07.2023

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादीगण उपस्थित। अधिवक्ता वादीगण द्वारा अपनी बहस में वाद में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा वादीगण का वाद स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। प्रतिवादी सं. 1 से 4 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व पूर्व में एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके हैं।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रकरण में वादी द्वारा घोषणा का वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि पूर्व में वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 से 4 के मौरूस के नाम दर्ज थी। वर्तमान में वादग्रस्त आराजीयात वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 से 4 के नाम दर्ज हैं। वादीगण द्वारा जमाबन्दी में सेहवन से हीरा पिता दामा का नाम गलत दर्ज होना बताकर हीरा पिता दामा नाम का कोई व्यक्ति नहीं होना बताकर नाम हटाया जाकर वादीगण एवं प्रतिवादीगण के नाम दर्ज भूमि में हिस्सा संशोधन किया जाने का निवेदन किया। वादीगण द्वारा अपने वादपत्र के समर्थन में दस्तावेज जमाबन्दी नकल प्रदर्श 1, माननीय उपखण्ड अधिकारी वल्लभनगर के प्रकरण सं. 222/96 वाद धुला बनाम गोदा के निर्णय एवं डिक्री की सत्यप्रतिलिपि प्रदर्श 2, सेटलमेन्ट विभाग की जमाबन्दी खतौनी सम्वत् 2030 प्रदर्श 3, जमाबन्दी सम्वत् 2030–40 प्रदर्श 4 पेश किये। वादीगण द्वारा साक्ष्य वादी शपथ पत्र पीडब्ल्यू 1 श्री गेबीलाल, पीडब्ल्यू 2 श्री हीरालाल के शपथ पत्र पेश किये। दस्तावेज एवं पत्रावली के अवलोकन से वादग्रस्त आराजीयात पूर्व में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मौरूस के नाम दर्ज थी जो विरासत से वादीगण एवं प्रतिवादीगण के नाम दर्ज हुई। नामान्तरकरण पारित करते समय सेहवन से हीरा पिता दामा का अंकन होने से हिस्से में अन्तर आना जाहिर होता हैं। अतः हीरा पिता दामा का नाम हटाया जाना उचित प्रतीत होता हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण हिरा पिता दामा का नाम हटाया जाकर हिस्से में संशोधन कराने के अधिकारी हैं। अतः वादीगण का वाद स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप वादीगण का वाद आपसी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि मौजा धोलीमगरी पटवार हल्का धोलीमगरी की आराजी नम्बर 345 रकबा 3.3508 हेक्टेयर भूमि में खातेदार हीरा पिता दामा का नाम हटाया जाकर वादी सं. 1, 3 से 7 प्रत्येक को 1/21 हिस्से, वादी सं. 2/1 से 2/5 प्रत्येक को 1/105 हिस्से एवं प्रतिवादी सं. 1 को 1/3 हिस्से व प्रतिवादी सं. 2 से 4 प्रत्येक को 1/9 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2023.08.29 16:37:10 IST
Reason: SelfAttested

(श्रीकान्त व्यास)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

मूल वाद में डिक्री
न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, जिला–उदयपुर
पीठासीन अधिकारी : श्री श्रीकान्त व्यास, R.A.S.
मुकदमा नम्बर : 62/22 (वाद) GCMS No. : 2022/154

उनवान

1. श्री गणेश पिता गोदा डांगी निवासी धोलीमगरी तह. मावली।
2. श्री जीवा पिता गोदा डांगी मृतक के बजाय :–
2/1 श्री राजेश पिता जीवा डांगी निवासी धोलीमगरी तह. मावली।
2/2 श्री भगवानलाल पिता जीवा डांगी निवासी धोलीमगरी तह. मावली।
2/3 लेहरी पिता जीवा डांगी निवासी धोलीमगरी तह. मावली।
2/4 नोजी पिता जीवा डांगी निवासी धोलीमगरी तह. मावली।
2/5 देऊ पिता जीवा डांगी निवासी धोलीमगरी तह. मावली।
3. श्रीमती गेबीलाल पिता गोदा डांगी निवासी धोलीमगरी तह. मावली।
4. श्रीमती जेती पिता गोदा डांगी निवासी धोलीमगरी तह. मावली।
5. श्रीमती धनी पिता गोदा डांगी निवासी धोलीमगरी तह. मावली।
6. श्रीमती माणी पिता गोदा डांगी निवासी धोलीमगरी तह. मावली।
7. श्रीमती मीरा पिता गोदा डांगी निवासी धोलीमगरी तह. मावली।

........वादीगण

बनाम

1. श्री दामा पिता रूपा डांगी निवासी धोलीमगरी तह. मावली।
2. श्री मांगीलाल पिता धुला डांगी निवासी धोलीमगरी तह. मावली।
3. श्रीमती सवली पत्नी धुला डांगी निवासी धोलीमगरी तह. मावली।
4. श्रीमती सोहनी पिता धुला डांगी निवासी धोलीमगरी तह. मावली।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।

.........प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु श्रीकान्त व्यास, R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार कर डिक्री किया जाता है कि मौजा धोलीमगरी पटवार हल्का धोलीमगरी की आराजी नम्बर 345 रकबा 3.3508 हेक्टेयर भूमि में खातेदार हीरा पिता दामा का नाम हटाया जाकर वादी सं. 1, 3 से 7 प्रत्येक को 1/21 हिस्से, वादी सं. 2/1 से 2/5 प्रत्येक को 1/105 हिस्से एवं प्रतिवादी सं. 1 को 1/3 हिस्से व प्रतिवादी सं. 2 से 4 प्रत्येक को 1/9 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 18.07.2023 को जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2023.08.29 16:37:10 IST
Reason: SelfAttested

(श्रीकान्त व्यास)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली